



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में डिजिटल कंटेंट सेंसरशिप

भारत में डिजिटल कंटेंट सेंसरशिप

सन्दर्भ

- भारत में डिजिटल कंटेंट की सेंसरशिप ने व्यापक स्तर पर विमर्श की स्थिति उत्पन्न कर दी है, विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग सेवाओं और स्वतंत्र पत्रकारिता के उदय के साथ।
 - शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ को लेकर हाल ही में हुए विवाद ने डिजिटल सेंसरशिप के बारे में चर्चा फिर से प्रारंभ कर दी है।

डिजिटल कंटेंट सेंसरशिप को समझना

- डिजिटल कंटेंट सेंसरशिप का तात्पर्य है सरकार, संगठन या अन्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण या दमन।
- इसमें शामिल हैं:
 - वेबसाइट और ऐप को ब्लॉक करना
 - सोशल मीडिया कंटेंट को हटाना
 - OTT (ओवर-द-टॉप) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का विनियमन
 - डिजिटल समाचार और पत्रकारिता पर प्रतिबंध

डिजिटल सेंसर बोर्ड के पक्ष में तर्क

- नफरत फैलाने वाले भाषण और गलत सूचना को रोकना – बिना जाँचे-परखे फर्जी खबरें और भड़काऊ सामग्री सामाजिक सञ्चार को खराब कर सकती है।
- सांस्कृतिक संवेदनशीलता की रक्षा करना – भारत की विविध धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- ऑनलाइन उत्पीड़न और अश्लीलता को विनियमित करना – स्पष्ट सामग्री, साइबरबुलिंग और गोपनीयता उल्लंघन पर चिंताओं को संबोधित करता है।
- बाल सुरक्षा सुनिश्चित करना – डिजिटल प्लेटफॉर्म नाबालिगों को अनुचित सामग्री के संपर्क में लाते हैं, जिसके कारण आयु-आधारित प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है।

भारत में डिजिटल सेंसरशिप को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) – अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत शालीनता, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित उचित प्रतिबंधों के अधीन।
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 – धारा 69A सरकार को सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं के लिए ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है।
- मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021 – सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार मीडिया को विनियमित करता है।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा स्व-विनियमन – नेटफिलक्स और अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद (DPCGC) जैसे स्व-नियामक ढाँचे का पालन करते हैं।
- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए संशोधन) – चर्चा किए गए संशोधनों का उद्देश्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को फिल्मों के समान सेंसरशिप नियमों के अंतर्गत लाना है।

- प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 – संपादकीय जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म को विनियमित करने का प्रयास करता है।

डिजिटल सेंसरशिप पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- चीन:** डिजिटल सामग्री पर कठोर सरकारी सेंसरशिप लागू करता है।
- यूरोपीय संघ:** डिजिटल सेवा अधिनियम पेश किया, जिसमें अत्यधिक सेंसरशिप के बिना सामग्री मॉडरेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका:** प्लेटफॉर्म-संचालित स्व-नियमन पर अधिक निर्भर करता है।

डिजिटल सेंसरशिप में चुनौतियाँ

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विनियमन में संतुलन** - अत्यधिक विनियमन रचनात्मकता का दमन कर सकता है, जबकि अपर्याप्त विनियमन हानिकारक सामग्री को फैला सकता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही** - सामग्री मॉडरेशन और सेंसरशिप निर्णयों में प्रायः स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव होता है, जिससे दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- अधिकार क्षेत्र संबंधी मुद्दे** - कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत के बाहर से संचालित होते हैं, जिससे प्रवर्तन मुश्किल हो जाता है।
- तकनीकी प्रगति** - डिजिटल मीडिया का तेज़ी से विकास सुसंगत और निष्पक्ष विनियमन को जटिल बनाता है।
- नैतिक चिंताएँ** - अश्लीलता कानूनों की व्यक्तिप्रक प्रकृति मनमाने ढंग से सेंसरशिप को उत्पन्न कर सकती है।

डिजिटल सेंसरशिप पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण

- अपूर्व अरोड़ा बनाम दिल्ली सरकार (2024) मामले में अश्लीलता निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसमें भाषा की कथित शालीनता के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि क्या सामग्री यौन या कामुक विचार उत्पन्न करती है। हालाँकि, व्यक्तिप्रक व्याख्या एक चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह: संतुलित विनियमन

- स्वतंत्र विनियामक निकायों को मजबूत करना** - यह सुनिश्चित करना कि न्यायालय और तटस्थ संस्थाएँ सेंसरशिप निर्णयों की समीक्षा करें।
- कंटेंट मॉडरेशन में पारदर्शिता बढ़ाना** - डिजिटल प्लेटफॉर्म को कंटेंट टेकडाउन पर समय-समय पर पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।
- डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना** - प्रतिबंधात्मक सेंसरशिप लागू करने के बजाय नागरिकों को फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए शिक्षित करना।
- नीति निर्माण में सार्वजनिक परामर्श** - डिजिटल कंटेंट विनियमन तैयार करने में पत्रकारों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज को शामिल करना।

निष्कर्ष

- डिजिटल सेंसर बोर्ड मुक्त भाषण, रचनात्मकता और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। यद्यपि हानिकारक सामग्री पर अंकुश लगाना आवश्यक है, लोकतंत्र और नवाचार की रक्षा के लिए किसी भी विनियमन को संतुलित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष होना चाहिए। इंटरनेट को खुले संवाद और अभिव्यक्ति के लिए एक स्थान बना रहना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सेंसरशिप राजनीतिक नियंत्रण या असहमति के दमन का साधन न बन जाए।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर डिजिटल सेंसर बोर्ड के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे बोर्ड को लागू करने के पक्ष एवं विपक्ष में क्या तर्क हैं, और सरकारें व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ विनियमन की आवश्यकता को कैसे संतुलित कर सकती हैं?

